



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए



संघ सरकार
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर
2015 की प्रतिवेदन सं. 3

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

**संघ सरकार
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर
2015 की प्रतिवेदन सं. 3**

..... को लोक सभा और राज्य सभा में प्रस्तुत

विषय सूची

| विषय | पृष्ठ |
|---|---------------|
| प्राक्कथन | i |
| मुख्य बातें | iii-vi |
| अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन | 1-16 |
| i. संघ सरकार के संसाधन | 1 |
| ii. प्रत्यक्ष करों का स्वरूप | 1-2 |
| iii. सीबीडीटी के कार्य एवं उत्तरदायित्व | 2 |
| iv. प्रत्यक्ष कराधान की बजटिंग | 3 |
| v. प्रत्यक्ष करों में वृद्धि | 4-7 |
| vi. छोड़ा गया राजस्व | 7-8 |
| vii. कर आधार का विस्तारण और गहनता | 9-10 |
| viii. संवीक्षा निर्धारणों का निपटान | 10-11 |
| ix. प्रतिदाय दावों का निपटान | 11 |
| x. असंग्रहीत मांग | 11-12 |
| xi. अपील मामलों के निपटान | 13 |
| xii. अभियोजन की प्रास्थिति | 14 |
| xiii. सीबीडीटी के परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज | 14 |
| xiv. आयकर विभाग की आईटी पहलें | 14-15 |
| xv. आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता | 15-16 |
| अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव | 17-25 |
| i. प्राप्तियों की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के प्राधिकार | 17 |
| ii. प्रणालियों और क्रियाविधियों की जांच और उनकी प्रभावोत्पादकता | 17-18 |
| iii. लेखापरीक्षा उत्पाद और प्रभाव | 18-20 |
| iv. त्रुटियों की घटना | 20-22 |
| v. लेखापरीक्षा के बताने पर वसूली | 22 |
| vi. लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया | 23-24 |
| vii. लेखापरीक्षा आपत्तियों का लंबन | 24-25 |
| viii. अभिलेखों को उपलब्ध न करना | 25 |
| अध्याय III: निगम कर | 27-44 |
| i. निर्धारणों की गुणवत्ता | 28-33 |
| ii. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन | 33-38 |
| iii. चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय | 38-43 |

| | |
|--|----------------|
| iv. कर/ब्याज का अधिक प्रभार | 43-44 |
| अध्याय IV: आयकर और संपत्ति कर | 45-56 |
| i. निर्धारणों की गुणवत्ता | 45-50 |
| ii. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन | 50-52 |
| iii. चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय | 53-55 |
| iv. कर/ब्याज का अधिक प्रभार | 56 |
| अध्याय V: आयकर समझौता आयोग की कार्यप्रणाली तथा आईटीडी द्वारा इसके आदेशों को लागू करना | 57-71 |
| परिशिष्ट | 73-108 |
| संकेताक्षर | 109-110 |